DASHAM
ALLIANCE FOR CHILD RIGHTS

लोकतंत्र में बच्चों एवं किशोर-किशोरियों की भागीदारी

बच्चों एवं किशोर-किशोरियों के समग्र विकास हेतु

माँग पत्र - 2023

राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
01	प्रस्तावना	01
राज्य में बच्चों एवं किशोर–किशोरियों की स्थिति एवं प्रमुख मांग		
02	राज्य में बाल स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति	02
	स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित बच्चों की मांगे	03
03	राज्य में बच्चों की शिक्षा की स्थिति	04
	शिक्षा से संबंधित बच्चों की मांगे	05
04	राज्य में बच्चों के विकास की स्थिति	06
	बाल विकास से संबंधित बच्चों की मांगे	07
05	राज्य में बाल संरक्षण की स्थिति	08
	बाल संरक्षण से संबंधित बच्चों की मांगे	09
06	राज्य में दिव्यांग बच्चों की स्थिति	10
	दिव्यांग बच्चों से संबंधित बच्चों की मांगे	11
07	बाल सहभागिता से संबंधित बच्चों की मांगे	12
08	संस्थागत देखरेख से विमुख होने वाले बच्चों से संबंधित मांगे	12
09	जनजाति क्षेत्र में रहने वाले बच्चों से संबंधित मांगे	13
10	रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले बच्चों से संबंधित मांगे	13
11	घुमन्तु/अर्द्ध घुमन्तु/विमुक्त समुदाय के बच्चों से संबंधित मांगे	14
12	स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से बच्चों के लिए प्रमुख मांगे	15
13	संभाग स्तरीय कार्यशालाएं	17
14	सहयोगी संस्थाएं	18
15	शपथ–पत्र	21

IPS

प्रस्तावना

राजस्थान की कुल जनसंख्या का 43 फीसदी संख्या प्रतिनिधित्व 18 वर्ष कम उम्र के बच्चे करते हैं। राज्य बाल नीति, 2008 के अनुसार राज्य अपने सभी बच्चों हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता की गुणवत्तापूर्ण सेवाएं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

राज्य में बच्चों की स्थिति के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार सरकार एवं समुदाय के स्तर पर किये जा रहे प्रयासों के बावजूद भी राज्य में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, विकास एवं सुरक्षा की स्थिति संतोषप्रद नहीं हैं। बच्चों की वर्तमान स्थिति में सुधार के बिना बच्चें देश का भविष्य एवं राष्ट्र निर्माता है, का कथन एक परिकल्पना मात्र है।

चुनावी माहौल के दौरान भी राजनैतिक पार्टीयों द्वारा अपने चुनावी घोषणा–पत्र में सामाजिक विकास सहित समुदाय के विभिन्न के वर्गों के उत्थान एवं विकास से संबंधित मांगों को स्थान दिया जाता हैं, लेकिन राज्य की बड़ी आबादी (बच्चों) की मांगों को चुनावी घोषणा–पत्र में महत्व नहीं दिया जाता हैं।

राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान के साथ जुड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा विगत 2008 से निरन्तर बच्चों की आवाज एवं मांगों को जन प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुचांने के लिए कार्य किया जा रहा है। अभियान द्वारा विगत दो राजस्थान विधानसभा चुनावों में (14वी. विधान सभा चुनाव –2013 एवं 15वीं विधान सभा चुनाव 2018) में अपनी सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से जिला/ब्लॉक/पंचायत स्तर पर कार्यरत 200 स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं 8000 से अधिक बच्चों के साथ संवाद कर राज्य में बच्चों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं पर मांग पत्र तैयार कर राजनैतिक दलों से राजस्थान विधानसभा चुनाव हेतु तैयार किये जाने वाले पार्टी के चुनावी घोषणा–पत्र में बच्चों की मांगों को सम्मिलित करने हेतु अनुरोध किया गया था।

अभियान द्वारा वर्ष 2023 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एक आयोजना बैठक का आयोजन कर बच्चों के मांग पत्र को तैयार करने के रूपरेखा निर्धारित की गई। बच्चों के इस मांग पत्र तैयार करने हेतु राज्य में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ राज्य/संभाग/जिला/ब्लॉक स्तर पर कार्यशालाओं एवं संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया हैं।

अभियान द्वारा अपनी सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से गांव पंचायत स्तर तक बच्चों के साथ संवाद के उपरान्त संभाग स्तर पर बच्चों एवं 217 स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ 2 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जिसके माध्यम से घुमंतु एवं विमुक्त जनजाति, रेगिस्तानी/आदिवासी क्षेत्र में आवासरत बच्चों एवं विशेष योग्यजन बच्चों तथा किशोर–किशोरियों सहित 12,000 से अधिक बच्चों के साथ चर्चा की गई हैं।

संभाग स्तरीय कार्यशाला के दौरान राज्य स्तरीय संदर्भ व्यक्तियों द्वारा विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन कर बच्चों की मांगो चिन्हित किया गया है तथा इस दौरान कांग्रेस, भा.ज.पा., आम आदमी पार्टी, ब.स.पा. इत्यादि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग कर बच्चों के साथ संवाद किया गया तथा बच्चों द्वारा, उनके समक्ष अपनी मांगों को रखा गया हैं।

उक्त कार्यशालाओं के सफल आयोजन के उपरान्त स्वयंसेवी संस्थाओं एवं बच्चों की मांगों का संकलन किया गया हैं तथा अभियान के कोर ग्रुप द्वारा 15 दिन तक निरंतर ऑनलाइन/व्यक्तिशः विचार–विमर्श बैठकों का आयोजन कर उक्त दस्तावेज को तैयार किया गया हैं। अभियान द्वारा लगभग 4 माह में उक्त प्रक्रिया पूर्ण किया गया हैं।

हमे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, कि आप इस दस्तावेज में उल्लेखित बच्चों की मांगों को आपकी पार्टी द्वारा तैयार किये जाने वाले चुनावी घोषणा–पत्र में सम्मिलित करवा कर चुनाव के पश्चात भी राजस्थान को बाल मैत्री राज्य के रूप में विकसित करने में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करेगें।

स्वास्थ्य एवं पोषण

राज्य में बाल स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति

- बाल लिंगानुपात में 21 बिन्दुओं की गिरावट के कारण राज्य में प्रति 1000 बालकों पर 888 बालिकाएं हैं।
- 5 वर्ष से कम उम्र के 60 प्रतिशत बच्चों में खून की कमी हैं तथा 15 से 49 वर्ष की आयु की 46.8 प्रतिशत महिलाओं में खून की कमी है।
- प्रत्येक 1000 जन्में नवजात शिशुओं में से 28 शिशुओं की मृत्यु प्रारम्भिक 28 दिन के भीतर हो जाती है।
- प्रत्येक 1000 जन्मे नवजात शिशुओं में से 51 शिशुओं की मृत्यु 1 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व हो जाती है।
- 5 वर्ष से कम उम्र के 23 प्रतिशत बच्चों का वजन उनकी लम्बाई के अनुपात में कम है।
- 5 वर्ष से कम उम्र के 31.8 प्रतिशत बच्चे अपनी सामान्य ऊंचाई से कम है।
- 5 वर्ष से कम उम्र के 27.6 प्रतिशत बच्चे कम वजन के पाये गये है।
- 71.5 प्रतिशत बच्चे कुपोषण यानि एनीमियां के शिकार है।
- स्वच्छ भारत मिशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 66 प्रतिशत व्यक्ति खुले में शौच करते है।
- 6.3 प्रतिशत बालिकाएं 19 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही मां बन जाती हैं।
- बालक एवं बालिकाओं के विवाह की औसत आयु 17.9 प्रतिशत है।

1 स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित बच्चों की मांगे

1.1 प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक माह में एक बार बच्चों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जॉच शिविर का आयोजन होना चाहिए।

1.2 हद्य रोग व अन्य गम्भीर बिमारियों से पीडित बच्चों के निःशुल्क उपचार की व्यस्था होनी चाहिए।

1.3 किशोर–किशोरियों के स्वास्थ्य एवं विकास संबंन्धी समस्याओं के निराकरण एवं उचित परामर्श के लिए पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र खोले जाए।

1.4 नवजात बच्चों में बधिरता की पहचान हेतु जिला स्तर पर बी.ई.आई.ए. (ब्रेन इनबोक्ड रिस्पोंस ऑडिटरी) परीक्षण की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

1.5 राज्य में नवजात बच्चों में एच.आई.वी. संक्रमण की जॉच की सुविधा उपलब्ध हो तथा संभाग स्तर पर वायरल लोड़ टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

1.6 एच.आई.वी. पीडित बच्चों को ए.आर.टी. ड्रग्स के साथ–साथ पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाये, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढोतरी हो सके।

1.7 सभी राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन, स्वास्थ्य जॉच की व्यवस्था होनी चाहिए।

1.8 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो में बच्चों व महिलाओं से संबन्धित रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

1.9 चिकित्सालयों में मूक–बधिर बच्चों के लिए संकेतक भाषा विशेषज्ञों की उपलब्धता हो।

1.10 यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रशिक्षित परामर्श/शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिये।

1.11 राज्य के प्रत्येक विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (समस्त आवश्यक उपकरणों एवं सामग्री सहित) की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

1.12 बाल मानसिक स्वास्थ्य पर ठोस कार्य–योजना बनाई जानी चाहिये तथा मानसिक रोगों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाये।

1.13 दिव्यांगता की पहचान हेतु की जाने वाली जेनेटिक टेस्टिंग को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

शिक्षा

राज्य में बच्चों की शिक्षा की स्थिति

- राजस्थान में 71393 सरकारी स्कूल है। इसमें से 35963 स्कूल प्राथमिक स्तर के 19631 उच्च प्राथमिक स्तर के, 11392 स्कूल कक्षा से 1 से 12वीं कक्षा तक संचालित है।
- 463 स्कूल ऐसे है, जहॉ आज भी एक कमरा नहीं है। 2207 स्कूल एक कमरे में तथा 11311 स्कूल 2 कमरों में संचालित किये जा रहे है।
- 202 स्कूलों में आज भी कोई शिक्षक नहीं है। 5217 स्कूलों में एक शिक्षक तथा 13790 स्कूलों दो शिक्षक ही कार्यरत है।
- 5382 स्कूलों में लडकों के लिए तथा 3573 स्कूलों में लडकियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नही है।
- 1297 स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, तथा 14819 स्कूलों में खेल का मैदान नहीं है।

2 शिक्षा से संबंधित बच्चों की मांगे

2.1 राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का विस्तार 12वीं कक्षा तक किया जाये।

2.2 राज्य में बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए।

2.3 राज्य के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के निर्धारित मानकों की पूर्ण पालना के लिए कार्य–योजना बनाई जाये तथा शाला प्रबंधन समितियों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

2.4 प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में मनो–सामाजिक काउन्सलर (परामर्शदाता) की नियुक्ति हो।

2.5 विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कैरियर परामर्श सेवाएं संचालित की जाये।

2.6 राज्य के प्रत्येक राजकीय विद्यालयों में पुस्तकालय, ई–लाइब्रेरी तथा कम्प्यूटर शिक्षा एवं स्मार्ट क्लास की स्थापना हो।

2.7 शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा पाठ्यक्रमों में बाल संरक्षण से संबंधित कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों तथा सकारात्मक अनुशासन से संबंधित विषय–वस्तु को सम्मिलित किया जाये।

2.8 बालिकाओं की शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाये।

2.9 ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, गणित, भौतिक, भूगोल एवं कोमर्स विषय की उपलब्धता हो तथा सभी विषयों से सम्बन्धित सुसज्जित प्रयोगशालाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

2.10 राज्य के विद्यालयों में जीवन कौशल शिक्षा एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण को अनिवार्यता से लागू किया जाये।

2.11 नो बैग डे के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी कर इसको प्रभावी रूप से लागू किया जाये।

2.12 नो बैग डे में बच्चों को सोशल मीडिया के नकारात्मक एवं सकारात्मक पहलुओं तथा साइबर अपराध पर विषय विशेषज्ञों से विशेष सत्र आयोजित करवाये जाये।

2.13 सरकारी एवं निजी विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली अतिरिक्त फीस पर नियंत्रण हो।

2.14 सरकारी विद्यालय में भवन, बिजली, पंखे, पानी, शैक्षिक सामग्री, स्वच्छता सेवाएं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल का मैदान, खेल सामग्री एवं छात्र व छात्राओं के लिए अलग–अलग क्रियाशील शौचालय, स्वच्छ पेयजल सहित सभी बुनियादी सेवाएं प्रदान की जाए।

2.15 बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों में सी.सीटी.वी कैमरे लगवाये जाये।

2.16 विद्यालय जाने में असमर्थ बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली सेवा प्रारभ की जाये।

2.17 प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अच्छी गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता, वितरण एवं इसके सुरक्षित निस्तारण के लिए डिस्पोजल मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

2.18 आर्थिक रूप से गरीब बच्चों को उनकी स्कूली शिक्षा जारी रखने के लिए समय पर छात्रवृत्ति जारी करना सुनिश्चित किए जाए।

बच्चों का विकास

राज्य में बच्चों के विकास की स्थिति

- राज्य में 55816 आंगनबाडी केन्द्र व 6204 मिनी आंगनबाडी केन्द्र संचालित है।
- उक्त में 6 माह से 3 वर्ष तक के 11.12 लाख बालक, 10.68 लाख बालिकाएं तथा 3 से 6 वर्ष के 7.31 बालक व 7.02 बालिकाएं आंगनबाडी में नामांकित है तथा 34 हजार किशोरी बालिकाएं को पुरक पोषाहार से लाभान्वित किया जा रहा हैं।
- 5 वर्ष से कम उम्र के 32 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं।
- 83 प्रतिशत बच्चों का मानक के अनुसार कम वजन के है।
- 5 साल से कम उम्र के मात्र 8.9 प्रतिशत बच्चे ही शालापूर्व शिक्षा से जुडे हुए है।
- 5 साल से कम उम्र के केवल 8.4 प्रतिशत बच्चों को ही पूर्ण पोषण मिल रहा है।

3 बाल विकास से संबंधित बच्चों की मांगे

3.1 समस्त आंगनबाडी केन्द्रों में शौचालयों का निर्माण किया जाये।

3.2 आंगनवाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य पोषण के साथ–साथ शाला पूर्व शिक्षा पद्धति में सुधार किया जाए।

3.3 आंगनबाडी केन्द्रों पर निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन एवं स्वास्थ्य जॉच की व्यवस्था की जाये।

3.4 आंगनवाड़ी केंद्रों में मानसिक विकास हेतु खिलौने और शैक्षणिक सामग्री उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

3.5 राज्य में मध्यान्ह भोजन (मिड–डे–मील) कार्यक्रम का विस्तार 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए किया जाये।

3.6 मध्याह्न भोजन में परोसे जाने वाले भोजन में मौसमी फल शामिल किया जाए।

3.7 स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जाए।

3.8 गांवों के सार्वजनिक पार्कों में ओपन जिम एवं खेल मैदान की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

3.9 ग्रामीण क्षेत्र में कुपोषण को कम करने के लिए प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर स्वराज्य पोषण अभियान शुरू किया जाये।

3.10 बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए वार्ड स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाए।

3.11 गावों एवं शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक पुस्तकालय खोले जाये।

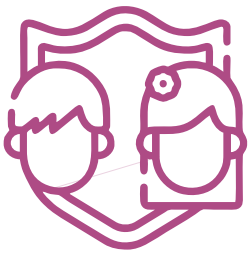

बाल संरक्षण

राज्य में बाल संरक्षण की स्थिति

- राजस्थान में 2020 में 8189 अपराध बच्चों के विरूद्ध हुए हैं। 2021 में यह संख्या 9231 हो गई।
- इनमें लगभग 55 प्रतिशत से अधिक पीड़ित बालक–बालिकाऐ 16–18 आयुवर्ग की तथा लगभग 28 प्रतिशत पीड़ित 14–15 आयुवर्ग के है।
- 78 प्रतिशत से अधिक अपराधों में पीड़िता बालिकाएं है।
- राज्य में पोक्सो एक्ट के तहत् 2020 में 3581 एवं 2021 में 3684 मामले दर्ज हुए है।
- देश में सर्वाधिक बाल विवाह से प्रभावित राज्यों में राजस्थान सातवें स्थान पर है।
- 25.4 प्रतिशत बालिकाओं एवं 28.2 प्रतिशत बालकों का विवाह निर्धारित आयु से पूर्व ही कर दिया जाता है।
- बाल श्रम में राज्य तृतीय स्थान पर है। यहां 05 से 14 वर्ष के 9.60 लाख एवं 05 से 18 वर्ष के 28 लाख बच्चे बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं।
- 51 प्रतिशत बच्चे सभी प्रकार के शोषण से पीड़ित हैं।
- 65 प्रतिशत बच्चों के साथ विद्यालयों में शारीरिक हिंसा होती है।

4 बाल संरक्षण से संबंधित बच्चों की मांगे

4.1 राज्य के समस्त जिलों में बालिका गृह की स्थापना की जाए।

4.2 नशे में लिप्त बच्चों व किशोर–किशोरियों के लिए जिला स्तर पर नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जाए।

4.3 बच्चों में बढ़ते इन्टरनेट एवं मोबाईल के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए बच्चों के लिए ऑनलाइन सेफ्टी एवं साईबर सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाए।

4.4 बाल दुर्व्यापार की प्रभावी रोकथाम हेतु राज्य स्तरीय कार्ययोजना का निर्माण किया जाए।

4.5 बच्चों के साथ होने वाले अपराध, ऑनलाइन धोखाधडी को रोकने के लिए शिकायत पोर्टल विकसित कर समाधान हेतु विशेष कार्य योजना का निर्माण किया जाए।

4.6 राज्य में अनाथ बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण का प्रावधान किया जाए।

4.7 अनाथ परित्यक्त एवं संस्थागत देखरेख में आवासरत बच्चों के आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाण–पत्र, मूल निवास प्रमाण–पत्र बनाने की विशेष व्यवस्था लागू जाए।

4.8 प्रत्येक ग्राम पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाए।

4.9 बच्चों की देख–रेख एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की पैरवी करने के लिए जिला स्तर पर वन स्टॉप क्राईसिस मेनेजमेन्ट सेन्टर फॉर चिल्ड्रन की स्थापना की जाए।

4.10 देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं छात्रावासों में प्रदान की जाने वाली सभी सरकारी सेवाओं के प्रभावी संचालन हेतु समीक्षा एवं निगरानी समितियों की स्थापना की जाए।

4.11 ग्रामीण क्षेत्रों में दीवार पेंटिंग, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं 112 का प्रचार–प्रसार करने की आवश्यकता है।

4.12 बच्चों व किशोर–किशोरियों की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए तथा नियमित रख–रखाव सुनिश्चित किया जाए।

4.13 संस्थागत देखभाल में रहने वाले बच्चों को शिक्षा, कैरियर एवं कौशल विकास के लिये विशेष कार्यक्रमों विकसित किये जाए।

दिव्यांग बच्चे एवं किशोर-किशोरी

राज्य में दिव्यांग बच्चों की स्थिति

- 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 5–19 साल के 306750 बालक बालिकाऐं है इनमें से 229338 (74.76 प्रतिशत) बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते है।
- उक्त में से 171895 (56.03 प्रतिशत) बच्चे ही नियमित शिक्षा से जुडे हुए है।
- राज्य में 53130 बच्चे नेत्रहीन है इनमें से 35151 (66.16 प्रतिशत) बच्चे शैक्षिक संस्थानों में नामांकित है।
- राज्य में 52801 बच्चे शारीरिक विकलांग है इनमें से 29454 (55.78 प्रतिशत) बच्चे शैक्षिक संस्थानों में नामाकिंत है।
- राज्य में 44069 बच्चे मूक–बधिर है इनमें से 28454 (64.56 प्रतिशत) बच्चे शैक्षिक संस्थानों में नामांकित है।
- वर्ष 2021–22 में कक्षा पहली से बारहवीं तक 1711 नेत्रहीन, 7089 अल्प दृष्टि, 5688 मुक बधिर 16871 शारिरीक विकलांग स्कूलों में नामांकित थे।

स्त्रोतः–जनगणना–2011, एन.एफ.एच.एस.–5, राजस्थान एन.सी.आर.बी. रिपोर्ट–2020, 2021, डाइस रिपोर्ट–2021–22, विभागीय प्रगति रिपोर्ट. 2022–23

5 दिव्यांग बच्चों से संबंधित बच्चों की मांगे

5.1 दिव्यांगता के बारे में समुदाय को जागरूक किया जाए तथा विशेष कैंप लगाकर ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाये तथा मार्गदर्शन हेतु विशेषज्ञों की टीम उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

5.2 चिन्हित किये गये बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बस एवं रेलवे पास, पहचान पत्र इत्यादि बनवाये जाए।

5.3 सभी प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को दिव्यांग अधिकार कानून एवं दिव्यांगताओं के प्रति शिक्षित एवं जागरूक किया जाए।

5.4 स्कूल, कॉलेज के पाठ्यक्रमों में दिव्यांगताओं की पहचान एवं इससे संबंधित कानून की महत्वपूर्ण जानकारी को सम्मिलित किया जाए।

5.5 सभी दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा पर जोर दिया जाए तथा प्रशिक्षित एवं कुशल विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।

5.6 दिव्यांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के आधार पर अध्ययन सामग्री का निर्माण, सांकेतिक भाषा/ऑडियो उपकरणों तथा ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग तथा विशेष परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराई जाए।

5.7 ऑटिज्म एवं बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के परीक्षा पाठ्यक्रम में निबंधात्मक प्रश्नों की जगह बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र दिये जाए।

5.8 श्रुतलेखक के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने के कारण दिव्यांग छात्रों को प्रत्येक परीक्षा के दौरान स्कूलों और कॉलेज प्रबंधन से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्रुतलेखक प्रदान किए जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये जाये।

5.9 सभी प्रमुख सार्वजनिक केन्द्र, जैसे हॉस्पिटल, न्यायालय, पुलिस स्टेशन, विद्यालयों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बैंक इत्यादि स्थलों पर आवश्यक रूप से सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ/दिव्यांग मित्रों की नियुक्ति होनी चाहिए।

5.10 सभी सार्वजनिक स्थलों पर ब्रेल–लिपि एवं सांकेतिक भाषा में दिशा निर्देश एवं आवश्यक मार्गदर्शक की व्यवस्था जाये।

5.11 सांकेतिक भाषा एवं दुभाषियों को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार द्वारा रोजगारपरक पाठ्यक्रम के साथ वित्तीय आधार पर नियुक्तियां की जाए।

5.12 दिव्यांग किशोर एवं युवाओं के लिए स्कूल कॉलेज में व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं तकनीकी पाठ्यक्रम सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए।

5.13 दिव्यांग छात्रों के लिए संसाधन कक्ष *(Resource Room)* हो।

5.14 सभी स्कूल, कॉलेज एवं सार्वजनिक स्थलों पर रैंप एवं सुगम शौचालय बनवाये जाए।

5.15 दिव्यांगों से संबंधित सभी कानूनों, नियमों, योजनाओं इत्यादि का डिजिटल एप्लिकेशन विकसित किया जाये।

5.16 दिव्यांग छात्रों की स्कॉलरशिप राशि कम से कम 1,000/– रूपये प्रति माह की जाए।

5.17 सभी स्कूल कॉलेज में दिव्यांग बच्चों के लिए नियमित रूप से खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाए एवं इन्हें पर्याप्त खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाए।

5.18 दिव्यांग बच्चों को विशेष औलम्पिक एवं पैराओलंपिक खेलों से जोड़ा जाए।

5.19 दिव्यांग छात्रों को खास तौर पर दिव्यांग छात्राओं को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जैसे अध्याय को अति संवेदनशील तरीके से पढ़ाया जाए।

5.20 सभी चिकित्सालयों में दिव्यांगों बच्चों को बिना लाइन में लगे प्राथमिकता से अटेंड किया जाए।

6 बाल सहभागिता से संबंधित बच्चों की मांगे

6.1 विद्यालयों में स्थापित बाल समूह, जैसे चाइल्ड राइट क्लब, मीना मंच, राजू मंच एवं बाल सभा में सभी बच्चों की सहभागिता एवं नियमानुसार बैठकों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए।

6.2 विद्यालयों एवं समुदाय स्तर पर होने वाले खेलों में सभी बच्चों को भाग लेने के अवसर दिए जाए, ताकि प्रतिभाशाली बच्चों को राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय खेलों में अवसर मिल सके।

6.3 बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बाल पंचायत, बाल संसद एवं उसके कार्यों को सक्रिय किया जाए।

6.4 अभिभावक–शिक्षक बैठकों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

7 संस्थागत देखरेख से विमुख होने वाले बच्चों से संबंधित मांगे

7.1 संस्थागत देखरेख में आवासरत बच्चों हेतु उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा हेतु विशेष वित्तीय सहायता एवं छात्रवृत्ति के प्रावधान किये जाए।

7.2 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात संस्थागत देखरेख छोड़ने वाले बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक भरण–पोषण एवं आवास हेतु वित्तीय सहायता दी जाए तथा सरकारी नौकरी में विशेष आरक्षण दिया जाए।

7.3 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात संस्थागत देखरेख छोड़ने वाले बच्चों के जन आधार कार्ड, राशन कार्ड सहित पहचान संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेज रूप से बनवाये जाए।

7.4 वैकल्पिक देखभाल से वंचित बच्चों हेतु दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की जाए।

8 जनजाति क्षेत्र में रहने वाले बच्चों से संबंधित मांगे

8.1 सहरिया, कथौडी जनजाति के बच्चों में कुपोषण की रोकथाम हेतु इन्हें आंगनबाडी एवं मॉ–बाडी केन्द्रों से जोड़ा जाएं।

8.2 जनजाति समुदाय विशेष क्षेत्र के बच्चों के लिए खेल एवं पोषण सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

8.3 समीपवर्ती राज्यों की सीमा से सटे गावों से बाल श्रम एवं अन्य प्रयोजन हेतु बाल तस्करी/दुर्व्यापार की रोकथाम सुनिश्चित की जाए।

8.4 जनजाति क्षेत्र के बच्चों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए।

8.5 नाता प्रथा के नाम पर बालिकाओं की ख़रीद–फ़रोख़्त की रोकथाम हेतु कठोर क़ानून बनाया जाए।

8.6 जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बच्चों खेल गतिविधियों में प्रोत्साहन हेतु पृथक से प्रशिक्षण केन्द्र बनाया जाए।

9 रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले बच्चों से संबंधित मांगे

9.1 मरूस्थलीय क्षेत्रों बच्चों घर से विद्यालय की दूरी की अधिकता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विद्यालय में परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

9.2 ऐसे क्षेत्र में विद्यालय परिसर में ही अध्यापकों के लिए आवासीय सुविधाएं कराई जाए, ताकि बच्चों की नियमित शिक्षा में बाधा उत्पन्न नहीं हों।

9.3 रेगिस्तानी क्षेत्र में आवासरत बच्चों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए।

9.4 रेगिस्तानी क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप बच्चों की शिक्षा एवं विकास के लिए विशेष कार्य–योजना बनाई जाए।

10 घुमन्तु/अर्द्ध घुमन्तु/विमुक्त समुदाय के बच्चों से संबंधित मांगे

10.1 घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के बच्चों को विशेष अभियान के तहत् चिन्हित किया जाए।

10.2 सरल प्रक्रिया के माध्यम से घुमंतु समुदायों के बच्चों के समस्त दस्तावेज (जन्म प्रमाण–पत्र, मूलनिवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड) बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10.3 घुमंतु समुदायों के शिक्षा से वंचित बच्चों को चिन्हित कर आवासीय अथवा मोबाइल विद्यालयों के माध्यमों से ऐसे समुदायों के बच्चों का शिक्षा से जोड़ा जाए।

10.4 घुमंतु समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, संस्कृति एवं योगदान को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

10.5 घुमंतु समुदायों के बच्चों को छात्रवृति एवं छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

10.6 राज्य में संचालित आवासीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में घुमंतु समुदायों के बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता जाए।

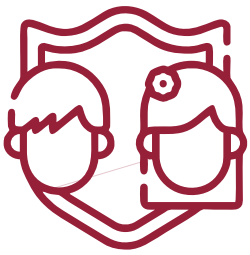

स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से बच्चों के लिए प्रमुख मांगे

1. स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु वर्तमान में निर्धारित स्वास्थ्य बजट, राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत किया जाए।

2. सभी राजनैतिक दलों में बच्चों के लिए अलग से प्रकोष्ठ का निर्माण किया जाए तथा बच्चों के साथ बाल संवाद कार्यक्रम संचालित किये जाए।

3. राज्य के प्रत्येक शहर/कस्बा/गांव में बच्चों के खेलने हेतु पर्याप्त खेल का मैदान एवं पार्क की व्यवस्था तथा आंगनबाडी केन्द्रों, विद्यालयों एवं पार्को में झूले एवं अन्य खेल सामग्री उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

4. राज्य बाल नीति, 2008 की क्रियान्वयन की व्यापक समीक्षा की जाए तथा राज्य की वर्तमान परिस्थियों के अनुसार नवीन बाल नीति का निर्माण किया जाए।

5. राज्य एवं जिला स्तरीय बाल संरक्षण कार्य योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

6. राज्य में बाल संरक्षण कानूनों एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के कैडर का निर्माण किया जाए।

7. अनाथ एवं अन्य देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यूनिक आई.डी. कार्ड जारी किये जाए।

8. देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सम्पति संरक्षण के लिए विशेष उपबन्ध किये जाए।

9. जिला स्तर पर पृथक से सुव्यवस्थित एवं संसाधनयुक्त विशेष किशोर पुलिस इकाई की स्थापना की जाए।

10. बाल अधिकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सुदृढ़ीकरण किया जाए।

11. ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को सक्रिय बनाया जाए तथा बच्चों के मुद्दों को चिन्हित करते हुए ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया जाए।

12. विशेष कला एवं हुनर रखने वाले बच्चों को अवसर प्रदान करते हुए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विशेष मंच स्थापित किए जाए।

13. आंगनबाडी केन्द्रों को क्रेच के रूप में विकसित किया जाए।

14. दिव्यांगों से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित विभागों से सीधा संपर्क करने के लिए 3 या 4 अंको का वन स्टॉप सॉल्यूशन हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए।

15. छात्र/छात्राओं को यौन शिक्षा एवं लड़कों को विशेष रूप से सकारात्मक मर्दानगी (Positive Masculinity) जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए।

16. विद्यालय नहीं जाने वाले/विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को चिन्हांकन कर विद्यालय से जोड़ने की कार्य योजना तैयार की जाए।

17. गैर शैक्षणिक गतिविधियों जैसे– चुनाव ड्यूटी, टीकाकरण में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाए ताकि बच्चों की शिक्षा बाधित नहीं हो।

18. दिव्यांग बच्चों, घुमंन्तु/विमुक्त समुदाय के बच्चों एवं देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों एवं किशोर–किशोरियों के लिए दस्तावेजीकरण (पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र) इत्यादि की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।

19. प्रशिक्षित एवं कौशल विशेष शिक्षकों की नियुक्त करते हुए समावेशी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए।

20. ट्रांसजेंडर बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोडा जाए।

21. बच्चों में अपराध, लिंग भेदभाव, मानसिक आघात आदि से बचाव हेतु विद्यालयों में परामर्श सुविधाएं सुनिश्चित की जाए।

22. 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात संस्थागत देखरेख छोड़ने वाले बच्चों की शिक्षा, उच्च शिक्षा, आश्रय, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कैरियर परामर्श हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

23. राजकीय एवं गैर–राजकीय विद्यालय के शिक्षकों को बाल संरक्षण नीतियों एवं कानूनों पर प्रशिक्षित किया जाए।

24. दिव्यांग एवं अनुसूचित जाति एवं जन जाति, घुमंन्तु/विमुक्त समुदाय के बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन परोसते समय जातिगत भेदभाव को समाप्त करने हेतु प्रभावी दिशा–निर्देश जारी किये जाए।

25. दिव्यांग अधिकार कानून, 2016 (अध्याय–8 अनुच्छेद – 39 (1,2) अनुच्छेद 47–) के अनुसार संपूर्ण राज्य में विधायकों, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन, पंच, सरपंच आंगनवाड़ी तथा पंचायत स्तरीय हितधारकों को दिव्यांग अधिकार कानून एवं दिव्यांगता के बारे में जागरूक किया जाए।

26. राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान (NIEPID) द्वारा बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए निर्मित विशेष शिक्षण प्रशिक्षण टूलकिट राज्य के समस्त विद्यालयों में वितरण किया जाए।

27. राज्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय में दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधान अनुसार सेंसरी पार्क बनाया जाए।

28. दिव्यांगता की पहचान हेतु की जाने वाली जेनेटिक टेस्टिंग को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सम्मिलित किया जाए।

29. ऑटिज्म एवं बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को विभिन्न प्रकार की थेरेपी को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सम्मिलित किया जाए।

30. जनजाति विकास विभाग के बजट में जनजाति बच्चों के अधिकारो के संरक्षण हेतु पृथक से बजट आवंटन किया जाए।

31. जनजाति क्षेत्र में आंगनवाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था की जाएं तथा जनजाति विकास विभाग द्वारा बच्चों के विकास पर आधारित कार्य योजना बनाई जाए।

32. बच्चों के समग्र विकास के लिए पांच कौशल (संज्ञात्मक, रचनात्मक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं जिज्ञासा कौशल) को शिक्षा में शामिल किया जाए।

संभागस्तरीय कार्यशालाएं

संभाग स्तर पर विभिन्न वर्गों एवं बच्चों एवं किशोर–किशोरियों तथा सामाजिक संस्थाओं के साथ आयोजित 2 दिवसीय कार्यशालाओं का विवरण

क्र.सं.	दिनांक	संभाग का नाम	संस्था का नाम
01	05 अगस्त से 06 अगस्त, 2023	जयपुर	एमिड अलवर, सपोर्ट फाउन्डेशन, जयपुर
02	08 अगस्त से 09 अगस्त, 2023	जोधपुर	दुसरा दशक, फलौदी उरमूल ट्रस्ट, बीकानेर
03	11 अगस्त से 12 अगस्त, 2023	बीकानेर	उरमूल ट्रस्ट, बीकानेर
04	22 अगस्त से 23 अगस्त, 2023	भरतपुर	प्रयत्न संस्थान, धौलपुर
05	26 अगस्त से 27 अगस्त, 2023	अजमेर	महिला जन अधिकार समिति, अजमेर शिव शिक्षा समिति, टोंक
06	02 सितम्बर से 03 सितम्बर, 2023	कोटा	भारत स्काउट्स एवं गाईड्स, कोटा मंजरी संस्था, बूंदी
07	11 सितम्बर से 12, सितम्बर, 2023	उदयपुर	बाल सुरक्षा नेटवर्क, उदयपुर विकल्प संस्था, उदयपुर

अभियान की सहयोगी संस्थाएं			
1	अन्ताक्षरी फाउण्डेशन, अजमेर	41	ग्रामोत्थान संस्थान, भरतपुर
2	दिशा आर.सी.डी.सी., अजमेर	42	जनहित जागरूकता, भरतपुर
3	एज्यूकेट गर्ल्स, राजस्थान	43	एकट बोधग्रम, करौली
4	मंथन संस्थान, कोठडी, अजमेर	44	एसएस विकास संस्थान, भरतपुर
5	राजस्थान महिला कल्याण मण्ड़ल, अजमेर	45	स्टेट विकास संस्थान, भरतपुर
6	सवेरा संस्थान, अजमेर	46	जतन संस्थान, भीलवाडा
7	ग्रामोत्थान संस्थान, अजमेर	47	बाल एवं महिला चेतना समिति, भीलवाडा
8	सामुदायिक स्वास्थ्य व विकास संगठन, अजमेर	48	कट्स सस्था, भीलबाडा
9	सेवरा संस्थान, अजमेर	49	उरमूल ट्रस्ट, बीकानेर
10	मगरा मेवाड विकास संस्थान, अजमेर	50	उरमूल सीमान्त समिति, बज्जू, बीकानेर
11	महिला जन अधिकार समिति, अजमेर	51	उरमूल ज्योति, नोखा, बीकानेर
12	ग्राम विकास शोध एवं तकनीकी संस्थान, अजमेर	52	उरमूल सेतु, लुनकरणसर, बीकानेर
13	दूसरा दशक परियोजना, पींसागन, अजमेर	53	शांति मैत्री मिशन बीकानेर
14	ग्रामीण एव सामाजिक विकास संस्थान, अजमेर	54	सेवा आश्रम संस्थान, बीकानेर
15	कल्याणी संस्थान, गिंगोलि, अजमेर	55	सजग दिव्याग सेवा समिति, बीकानेर
16	सी–फार., अजमेर	56	प्लान इंडिया, बीकानेर
17	लोक विकास संस्थान, सरवाड	57	राजस्थान उच्च माधमिक विद्यालय, बधिर, बीकानेर
18	सेन्टर फॉर लेबर रिसर्च एण्ड एक्शन	58	राजकीय नेत्रहीन राज. उच्च माधमिक विद्यालय, बीकानेर
19	मत्स्य–मेवात शिक्षा एवम् विकास संस्थान अलवर	59	महरानी लक्ष्मी बाई नारी उत्थान संस्थान, बीकानेर
20	अलवर मेवात शिक्षा एवं विकास संस्थान (एमिड), अलवर	60	उरमूल सेतु संस्थान लूनकरनसर, बीकानेर
21	बांगड़ विकास संस्थान, बांसवाडा	61	ठन्ठी छॉव संस्था, बीकानेर
22	वागधारा बांसबाड़ा	62	ग्राम राज्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, बूंदी
23	समदर्शी ग्राम विकास संस्था, बांरा	63	मंजरी संस्थान, बूंदी
24	रेड़ इण्डिया संस्थान, केलवाड़ा, बांरा	64	श्री नारायण सेवा एंवम विकास संस्थान, बून्दी
25	प्रेरणा जन कल्याण संस्थान, अन्ता, बांरा	65	किर्ती संस्थान, चितौडगढ़
26	अशोका तकनीकी विकास सस्थां, बारां	66	प्रतिरोध, चितौडगढ़
27	संकल्प संस्था, मामोनी, बांरा	67	प्रयास, चितौडगढ़
28	दूसरा दशक परियोजना, भवरगढ़, बारां	68	नवाचार संस्थान, चित्तौड़गढ़
29	नेहरू नव युवक मण्डल, बाडमेर	69	मरू शक्ति संस्थान, चूरू
30	अजीम प्रेमजी, फाउण्डेशन	70	जिला मानव कल्याण समिति, चूरू
31	सोसायटी टू अपलिफ्ट रूरल इकॉनोमी (श्योर)	71	प्रयत्न संस्था, धौलपुर
32	लोक शक्ति विकास संस्था, बाडमेर	72	आई.सी.एम., दौसा
33	धारा संस्थान, बाडमेर	73	सामाजिक न्याय एवं विकास समिति, दौसा
34	आइडिया संस्थान, बालोतरा, बाडमेर	74	वागड़ मजदूर किसान संगठन, डूंगरपुर
35	लोकशक्ति विकास, संस्थान, बाडमेर	75	तपोवन ट्रस्ट, गंगानगर
36	युवा संस्थान, बाडमेर	76	जगदम्बा मूकबधिर अन्ध विद्यालय, गंगानगर
37	समान्तर संस्थान, भरतपुर	77	मानसी जन कल्याण संस्थान, गंगानगर
38	दिशा फाउन्डेशन, भरतपुर	78	जय भारत सेवा समिति, गंगानगर
39	मानव मंगल सेवा संस्थान, भरतपुर	79	एस.के.सेवा समिति, गंगानगर
40	भाव्या समृद्धि विकास समिति, भरतपुर	80	सामाजिक चेतना शोद्य संस्थान, हनुमानगढ

अभियान की सहयोगी संस्थाएं	
161 प्रेरणा जन कल्याण संस्थान, कोटा	191 ग्रामीण विकास शोध एवं तकनीकी केन्द्र, टोंक
162 उत्कर्ष संस्थान, कोटा	192 पर्यावरण एवं ग्राम विकास संस्थान, मालपुरा
163 करनी नगर विकास समिति, कोटा	193 सेवा मन्दिर संस्थान, उदयपुर
164 ऑक्सफोर्ड शिक्षण प्रशिक्षण विकास संस्थान, कोटा	194 बाल सुरक्षा नेटवर्क, उदयपुर
165 तेजस्वनी संस्थान, कोटा	195 फोस्टर केयर सोसायटी, उदयपुर
166 सचेंतन संस्थान, कोटा	196 गायत्री सेवा संस्थान, उदयपुर
167 साकार नारायण सेवा संस्थान, कोटा	197 राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, उदयपुर
168 शशी महिला प्रशिक्षण संस्थान, कोटा	198 उन्नत्ति संस्थान, उदयपुर
169 सृष्टि संस्था, कोटा	199 उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, उदयपुर
170 संम्पर्क संस्थान, नागौर	200 आस्था संस्थान, उदयपुर
171 उरमुल खेजडी, नागौर	201 विकल्प संस्थान, उदयपुर
172 नवज्योति विकास संस्थान, पाली	202 प्रयत्न समिति, उदयपुर
173 स्थाई विकास संस्था, पाली	203 जागरण जन विकास समिति, उदयपुर
174 गोड़वाड आदिवासी संगठन, पाली	204 उदयपुर महिला एवं बाल विकास समिति, उदयपुर
175 कल्पना कल्याण सोसायटी, पाली	205 जगरा जन विकास समिति, उदयपुर
176 जरगा क्षेत्रीय विकास समिति, कुंभलगढ़, राजसमंद	206 ओंलखान टस्ट्र कुम्भलगढ, उदयपुर
177 राजसमंद महिला मंच, कांकरोली, राजसमंद	207 प्रसा अनुसंधान संस्था, उदयपुर
178 राजसमन्द जन विकास संस्थान, उदयपुर	208 अलर्ट संस्थान, उदयपुर
179 जमनालाल कनीराम बजाज ट्रस्ट, सीकर	209 महान सेवा संस्थान, उदयपुर
180 सोशियल एक्शन फॉर रूरल एडवांसमेंट (सारा), सीकर	210 नवाचार संस्थान, उदयपुर
181 आशा का झारना, सीकर	211 स्वतंन्त्रता सेनानी वी.पी. सिह सस्थान, उदयपुर
182 जन चेतना संस्थान, आबूरोड़, सिरोही	212 सहयोगी सेवा संस्थान, उदयपुर
183 सोसायटी फॉर ऑल राउण्ड डवलपमेन्ट (सार्ड), सिरोही	213 आजीविका ब्यूरो, गोगुन्दा, उदयपुर
184 दलित विकास एवं सहयोग समिति, सवाई माधोपुर	214 लोक विकास समिति, उदयपुर
185 रणथंभौर आर्ट एवं वाईल्ड लाईफ सोसायटी, सवाईमाधोपुर	215 त्रिमूर्ति सेवा सस्थान, उदयपुर
186 तरक्की फाउण्डेशन, टोंक	216 दिव्यांग जन संस्थान, उदयपुर
187 शिव शिक्षा समिति, टोंक	217 मंजरी फाउण्डेशन, उदयपुर
188 कोटडा अदिवासी संस्थान, उदयपुर	
189 हाड़ौती नेटवर्क फॉर पीपल लिविंग विद एच.आई.वी, एड्स समिति, कोटा	
190 ज्ञानोद्य ग्रामीण विकास एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, सवाईमाधोपुर	

शपथ–पत्र

हमारी राजनैतिक पार्टी ..... समाज के सभी वर्गों मुख्यतः बच्चों एवं किशोर–किशोरियों की सुरक्षा एवं विकास हेतु प्रतिबद्ध हैं तथा **''बच्चे देश का भविष्य होते हैं''**, के कथन को सार्थक करने हेतु प्रयासरत है। हमारी पार्टी द्वारा पूर्व में भी बाल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने हेतु प्रयास किये गये है।

राज्य की स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा ''दशम–लोकतंत्र में बच्चों एवं किशोर–किशोरियों की भागीदारी'' अभियान के तहत् उनकी की आवाज एवं मांगों को सम्मिलित करते हुए ''बच्चों एवं किशोर किशोरियों के समग्र विकास के लिए मांग–पत्र'' तैयार किया गया है। यह बेहद सराहनीय एवं प्रशंसनीय प्रयास है।

हमारी पार्टी राज्य की स्वंयसेवी संस्थाओं तथा ''बच्चों एवं किशोर–किशोरियों द्वारा तैयार इस मांग–पत्र में उल्लेखित महत्वपूर्ण मांगों को राजस्थान विधानसभा चुनाव, 2023 हेतु तैयार किये जाने वाले पार्टी के चुनावी घोषणा–पत्र में सम्मिलित करेगी।

यदि हमारी पार्टी सत्ता में आती है, तो हम एक जिम्मेदार राजनैतिक पार्टी होने के नाते राजस्थान को बाल मैत्री राज्य के रूप में विकसित करने हेतु विकासात्मक एवं संरक्षणात्मक वातावरण तैयार करेगें तथा इस मांग पत्र में उल्लेखित समस्त मांगों की पूर्ति करेगें।

दिनांक .....

स्थान .....

(हस्ताक्षर शपथग्रहिता)

शपथग्रहिता का नाम .....

पदनाम .....

शपथ–पत्र

हमारी राजनैतिक पार्टी ..... समाज के सभी वर्गों मुख्यतः बच्चों एवं किशोर–किशोरियों की सुरक्षा एवं विकास हेतु प्रतिबद्ध हैं तथा **''बच्चे देश का भविष्य होते हैं''**, के कथन को सार्थक करने हेतु प्रयासरत है। हमारी पार्टी द्वारा पूर्व में भी बाल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने हेतु प्रयास किये गये है।

राज्य की स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा ''दशम–लोकतंत्र में बच्चों एवं किशोर–किशोरियों की भागीदारी'' अभियान के तहत् उनकी की आवाज एवं मांगों को सम्मिलित करते हुए ''बच्चों एवं किशोर किशोरियों के समग्र विकास के लिए मांग–पत्र'' तैयार किया गया है। यह बेहद सराहनीय एवं प्रशंसनीय प्रयास है।

हमारी पार्टी राज्य की स्वंयसेवी संस्थाओं तथा ''बच्चों एवं किशोर–किशोरियों द्वारा तैयार इस मांग–पत्र में उल्लेखित महत्वपूर्ण मांगों को राजस्थान विधानसभा चुनाव, 2023 हेतु तैयार किये जाने वाले पार्टी के चुनावी घोषणा–पत्र में सम्मिलित करेगी।

यदि हमारी पार्टी सत्ता में आती है, तो हम एक जिम्मेदार राजनैतिक पार्टी होने के नाते राजस्थान को बाल मैत्री राज्य के रूप में विकसित करने हेतु विकासात्मक एवं संरक्षणात्मक वातावरण तैयार करेगें तथा इस मांग पत्र में उल्लेखित समस्त मांगों की पूर्ति करेगें।

दिनांक .....

स्थान .....

(हस्ताक्षर शपथग्रहिता)

शपथग्रहिता का नाम .....

पदनाम .....

DASHAM
ALLIANCE FOR CHILD RIGHTS

पहल

राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान

सहयोगी संस्थाएं

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :-

रिसोर्स इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमन राईट्स

932, किसान मार्ग, बरकत नगर, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान
दूरभाष : 0141-3532799, 9460387130, 7878055137
E-mail : rihr.rajasthan@gmail.com • Website : www.rihrraj.org